रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1973/अग्रहायण 20, 1895

No. 428] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 1973/AGRAHAYANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th December 1973

S.O. 773(E).—Whereas a vacancy has occurred in the seat allotted to 6-Bombay Central parliamentary constituency of the House of the People in the State of Maharashtra by reason of Shri R. D. Bhandare, the member elected to the said House from the said constituency, having entered upon his office as Governor of Bihar with the consequent vacation by him of his seat in the said House in accordance with the provisions of clause (1) of Article 158 of the Constitution;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 19 January, 1974 in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/MT-HP/3/73(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1973

एस०ओ०773(अ).—यतः महाराष्ट्र राज्य में के लोक सभा के 6-मुम्बई मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान में, उक्त निर्वाचन क्षेत्र से उक्त सदन के लिए निर्वाचित सदस्य श्री आर०डी०भंडारे द्वारा बिहार के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण कर लेने के कारण और संविधान के अनुच्छेद 158 के खंड

(1) के उपबन्धों के अनुसार उक्त सदन में उनके द्वारा अपना स्थान रिक्त कर देने के परिणामस्वरूप, रिक्ति हो गई है ;

अत :, अब, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 19 जनवरी, 1974 से पूर्व, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे ।

[सं० 100/महा० लो०स०/3/73(1)]

S.O. 774(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 6-Bombay Central parliamentary constituency in the State of Maharashtra in pursuance of its notification No. 100/MT-HP/3/73(1) dated 11 December, 1973,—

(a) 18 December, 1973 (Tuesday) as the last date for making nominations;

(b) 19 December, 1973 (Wednesday) as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 21 December, 1973 (Friday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 13 January, 1974 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 19 January, 1974 (Saturday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MT-HP/3/73(2).]

एस०ओ० 774(अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/महा० लो० स०/3/73(1), तारीख 11 दिसम्बर, 1973 के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य में के 6—मुम्बई मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	18 दिसम्बर, 1973 (मंगलवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	19 दिसम्बर, 1973 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	21 दिसम्बर, 1973 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा ;	13 जनवरी, 1974 (रविवार) ; तथा
(ङ०) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	19 जनवरी, 1974 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/महा०-लो० स०/3/73 (2)]

S.O. 775(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 6-Bombay Central parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MT-HP/3/73(1) dated 11 December, 1973.

[No. 100/MT-HP/3/73(3)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 775(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/महा०/लो०स०/3/73(1), तारीख 1 दिसम्बर, 1973 के अनुसरण में 6 मुम्बई मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8–00 बजे पूर्वान्ह से 5–00 बजे अपरान्ह तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है। जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/महा०–लो०स ०/3/73 (3)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973